तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल0आर0/6138/2006/सवाईमाधोपुर राजस्थान सरकार बनाम मोहनराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** **उपस्थित :-** श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित । निर्णय **दिनांक**10.2.2020 यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 24-05-2006 द्वारा मण्डल को प्रेषित किया है। 2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, गंगापुर ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किशोरपुर की बन्दोबस्त खतौनी संवत 2003 की साबिक आराजी खसरा नं0 2009 रकबा 110 बीघा 17 बिस्वा, व एकीकरण खतौनी संवत 2019 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बने नये खसरा नंबर 677 रकबा 105 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन तालाब सिवायचक दर्ज थी। तथा मिलान क्षेत्रफल हाल बंदोबस्त संवत 2039 के अनुसार उक्त खसरा नंबरान के नवीन खसरा नंबर 2397 रकबा 0.15 हेक्टर बने है । उक्त खसरा नंबर 677 रकबा 105 बीघा 10 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 542 स्वीकृत किया गया । गत रेकार्ड में उक्त भू-भाग बिलानाम तालाब दर्ज रेकार्ड था ओर इस प्रकार की भूमि पर निजी व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं किए जा सकते है। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(1) के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल0आर0/6138/2006/सवाईमाधोपुर राजस्थान सरकार बनाम मोहनराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है । किन्तु तहसीलदार ने उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में करने के आदेश पारित किए जो अवैध है तथा इसके आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में खोला नामान्तरकरण संख्या 542 दिनांक 14-6-75 अनियमित होने से निरस्तनीय है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28-7-2004 की अनुपालना में उक्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 15-8-1947 की स्थिति रेकार्ड अनुसार बहाल की जानी है। अतः उक्त भूमि पुनः सरकारी भूमि दर्ज कर नदी नालों एवं जलाशयों का प्राकृतिक स्वरुप बहाल रखा जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24-05-2006 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। 3. योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नाले, झीले ओर तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जावें। 4. हमने उप राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम किशोरपुर की बन्दोबस्त खतौनी संवत 2003 की साबिक आराजी खसरा नं0 2009 रकबा 110 बीघा 17 बिस्वा, व एकीकरण खतौनी संवत 2019 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बने नये खसरा नंबर 677 रकबा 105 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन तालाब	

सिवायचक दर्ज थी। तथा मिलान क्षेत्रफल हाल बंदोबस्त संवत 2039 के अनुसार उक्त खसरा नंबरान के नवीन खसरा नंबर 2397 रकबा 0.15 हेक्टर बने है । उक्त खसरा नंबर 677 रकबा 105 बरघा 10 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 542 स्वीकृत किया गया। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2060–2063 में खसरा नंबर 2397 रकबा 0.15 हेक्टर भूमि किस्म चाही–2 पर अप्रार्थी मोहनराम रामपाल पि.मंगल कोम मीना सा0 देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार जो भूमि का हस्तातंरण हुआ है वह विधि विरूद्ध है। ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(2) के तहत् नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित है तथा किसी व्यक्ति की गैर खातेदारी/ खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार जो हस्तांतरण हुआ है वह विधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित रिट याचिका संख्याः 1536/03 उनवान 'अब्दुल रहमान बनाम सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 02–8–04 में प्रतिपादित व्यवस्थाओं के विपरीत है।यह तथ्य राजस्व अभिलेखों से सिद्ध है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में गैर मुमकिन तालाब के रूप में दर्ज थी जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं तथा ऐसी भूमि आवंटन या नियमन के लिए भी उपलब्ध नहीं हो सकती है।

इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लोकहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी श्री अब्दुल रहमान बनाम राज्य शासन निर्णय दिनांक 2/8/2004 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस प्रकरण में निम्न अभिमत प्रकट किया हैः–

All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल0आर0/6138/2006/सवाईमाधोपुर राजस्थान सरकार बनाम मोहनराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	15.8.1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. **----In the Government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the Government. "** यह न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के प्रकाश में इस रेफरेंस प्रकरण का निर्णय करना उचित समझता है। इस प्रकरण में भी प्रश्नगत भूमि की किस्म गैर मुमकिन तालाब थी तथा विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत भूमि को अप्रार्थी को आवंटन करते हुए खातेदार में दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रभाव से ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इस प्रकार अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में किये गये इन्द्राजों की समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं शुन्य प्रभावी है। 6. फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम किशोरपुर की विवादित आराजी को सिवाय चक दर्ज कर उसकी किस्म गैर मुमकिन तालाब के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त आराजी बाबत खोले गए नामान्तकरण संख्या 542 एवं इसके पश्चातवर्ती खोले गए समस्त नामान्तरकरण निरस्त किए जाते हैं । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	